

न्यायालय- द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला-भिण्ड
(समक्ष : पी0सी0आर्य)

विविध व्यवहार अपील क्रमांक: 97 / 2014

संस्थापन दिनांक 13.10.2014

फाईलिंग नंबर-230303013162014

1. करनसिंह पुत्र नाथूसिंह आयु 71 साल
 2. श्रीमती सरजू पत्नी करनसिंह आयु 66 साल
 3. जसवंतसिंह आयु 31 साल
 4. रामकुमार आयु 61 साल
 5. राधाकिशन आयु 24 साल
 6. अरविन्द आयु 20 साल
- पुत्रगण करनसिंह समस्त जाति कुशवाह
निवासीगण मौ परगना गोहद जिला भिण्ड

.....अपीलार्थीगण / वादीगण

वि रू द्ध

हरविलास पुत्र करनसिंह आयु 35 साल जाति
कुशवाह निवासी ग्राम कंगालीपुरा मेहतरवाली गली
के पास इन्दरगढ जिला दतिया म0प्र0

.....प्रत्यर्थी / प्रतिवादी

अपीलार्थीगण / वादीगण द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी क0-2 पूर्व से एकपक्षीय

-::- आ दे श -::-

(आज दिनांक 22 सितंबर-2015 को खुले न्यायालय में पारित)

1. इस आदेश द्वारा अपीलार्थी/आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 एवं धारा-151 सी0पी0सी0 का निराकरण किया जा रहा है।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा विवादित भूमि उनका एकसमान हक है।
3. अपीलार्थी/आवेदकगण का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रकरण में विवादित भूमि जो कि मौजा मौ तहसील गोहद में स्थित है जिस पर उनका 1/4 भाग का हिस्सा है जिसके लिये उन्होंने स्वत्व घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद पेश किया गया था। उक्त वादग्रस्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिक संपत्ति है जिस पर उनका समान हक है। प्रत्यर्थी क्रमांक-1 व 2 ने मेहनत मजदूरी करके पैसा एकत्रित किया। तथा विवादित भूमि प्रत्यर्थी

क्रमांक-1 जो कि उनका ज्येष्ठ पुत्र था। जब वह नाबालिग था तब उसके नाम कर दी थी। क्योंकि उस समय अन्य अपीलार्थीगण पैदा नहीं हुए थे। लेकिन भूमि पर उनका हक व कब्जा प्रभाव बना रहा है और संयुक्त रूप से वादग्रस्त भूमि से ही उनसभी का भरणपोषण होता चला आ रहा है। प्रत्यर्थी क्रमांक-1 विवाहित होने के बाद अपनी ससुराल चला गया थज्ञ। चूंकि जमीन की कीमत बढ़ गई है इसलिये प्रत्यर्थी क्र0-1 की नीयत खराब हो गयी है और वह वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने हेतु प्रयत्नशील है तथा उसके द्वारा धमकी भी दी गई है। यदि विवादित भूमि को विक्रय या हस्तांतरण से नहीं रोका गया तो उससे अपील निष्फल हो जावेगी और उन्हें गंभीर क्षति होगी। इसलिये आवेदन स्वीकार कर प्रकरण का निराकरण होने तक प्रत्यर्थी क्रमांक-1 को वादग्रस्त भूमि रहन, विक्रय या अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने से व कब्जा बर्ताव में बाधा उत्पन्न करने से निषेधित किया जावे।

4. प्रत्यर्थी/अनावेदकगण की ओर से आवेदन पत्र का जवाब न देकर मौखिक विरोध किया गया है कि विवादित भूमि पर प्रत्यर्थी क्रमांक-1 हरविलास सिंह काबिज मालिक हैं। वादी/अपीलार्थीगण को उससे कोई संबंध सरोकार नहीं है और वह इन्द्राजित भूमिस्वामी हैं। विवादित भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति नहीं है तथा जब भूमि खरीदी गई थी उस समय वह अवयस्क था। इसलिये पिता को सरपरस्त बनाते हुए वयनामा कराया गया था। विगत चालीस वर्षों से उसका एकांकी स्वामित्व व आधिपत्य है और उसे विक्रय करने का अधिकार है। विवादित भूमि पर वादी/अपीलार्थीगण का न तो कभी कब्जा रहा है न ही खेती हुई है। इसलिये उन्हें कोई हक प्राप्त नहीं है तथा न ही कोई वाद कारण उत्पन्न हुआ है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने मूल दावा पेश कर दिया है तथा अपील के निराकरण में कोई विलंब की संभावना नहीं है। मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है और अंतिम कि के लिये वे तैयार है इसलिये आवेदन सव्यय निरस्त किया जावे। जबकि वादी/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदन अनुरूप तर्क करते हुए आवेदन स्वीकार करने की प्रार्थना की गई है।

5. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह हैं कि —
1. क्या अपीलार्थीगण/आवेदकगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रबल मामला है?
 2. क्या सुविधा के संतुलन का सिद्धांत अपीलार्थीगण/आवेदकगण के पक्ष में है?
 3. क्या अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में अपीलार्थीगण/आवेदकगण को अपूर्णीय क्षति होने की प्रबल संभावना है?

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 लगायत 3

6. उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर मनन किया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन व परिशीलन किया गया, विधि के मान्य सिद्धांतों पर चिंतन किया गया। वादी/अपीलार्थीगण का मूल वाद जो कि सहदायिक हक के आधार पर पेश किया गया था। वह विचारण न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। अपील गुण-दोषों पर सुनवाई हेतु ग्रहण की गई है। मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है और मूल अभिलेख प्राप्त हो जाने से विचाराधीन प्रथम सिविल अपील की गुण-दोषों पर शीघ्रता से सुनवाई की जाकर उसका निराकरण संभव है। विलंब होने की संभावना नहीं है। अपील दिनांक 14.10.14 को पेश हुई थी उसके बाद से अभी तक करीब 11 महीने का समय व्यतीत हो चुका है जिसमें इस दौरान विक्रय या हस्तांतरण की कोई कार्यवाही दर्शित नहीं हुई है। मामले में सहदायिक हित या हक का प्रश्न निराकरण के लिये उत्पन्न है क्योंकि इसी आधार पर अपीलार्थीगण अपील लेकर आये हैं। प्रत्यर्थी का आधार एकांकी स्वत्व व आधिपत्य का है। निर्विवादित रूप से वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेख में प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्र0-1 के नाम इन्द्राजित है इसलिये वह इन्द्राजित भूमिस्वामी है। बेनामी समव्यवहार का बिन्दु भी उठाया गया है जिसका गुण-दोषों

पर ही निराकरण होगा। किन्तु विक्रय या हस्तांतरण का भी घटनाक्रम परिलक्षित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपील के निराकरण तक किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है क्योंकि विचाराधीन वाद का सिद्धान्त भी महत्व रखता है। ऐसी स्थिति में तीनों विचारणीय बिन्दु अपीलार्थी/आवेदकगण के हित में होना दर्शित नहीं होते हैं। इसलिये आवेदन जिन आधारों पर पेश किया गया है, वही सुदृढ़ आधार न होने से सद्भावना पूर्ण नहीं है। फलतः आवेदन वाद विचार निरस्त किया जाता है।

नोट:- इस आदेश का प्रभाव प्रकरण के गुण-दोषों पर नहीं होगा।

दिनांक- **22.09.15**

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी0सी0आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(पी0सी0आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)